

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पीपावास
व भू.अ.नि. कोल्डी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगरा / नायब
तहसीलदार जिजुवड की अनुसूचा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुरूप में ग्राम पीपावास तहसील रेलमगरा व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 86 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	पीपावास	86	मुकेशपुत्र मिश्रा हिस्ता 1/12 जारि-गुर्जर सा. 36 खोलेडर राहिन हिस्ता 4/12 (पूर्व खाल) 5885 शाखा फरीषा	मुकेश पुत्र मिश्रा हिस्ता 1/12 जारि- गुर्जर सा. 36 खोलेडर राहिन हिस्ता 4/12 (पूर्व खाल) 5885 शाखा फरीषा

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा

क्रमांक - 152
प्रतिलिपि -

दिनांक 3 OCT 2023

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रेलमगरा